

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 167]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 31 मार्च 2012—चैत्र 11, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2012

क्र. 1917-132-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 31 मार्च 2012 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ११ सन् २०१२

मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, २०१२

[दिनांक ३१ मार्च, २०१२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ३१ मार्च, २०१२ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, २००५ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम .

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, २०१२ है.

धारा ९ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, २००५ (क्रमांक १८ सन् २००५) की धारा ९ में, उपधारा (२) में खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(ग) यह सुनिश्चित करेगी कि वित्तीय वर्ष २०११-१२, २०१२-१३, २०१३-१४ तथा २०१४-१५ के लिये कुल परादेय ऋण उक्त वर्ष के लिये प्राक्कलित जीएसडीपी के क्रमशः ३७.६ प्रतिशत, ३६.८ प्रतिशत, ३६.० प्रतिशत तथा ३५.३ प्रतिशत से अधिक नहीं हों;”.

निरसन
व्यावृत्ति.

तथा

३. (१) मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधन अध्यादेश, २०१२ (क्रमांक १ सन् २०१२) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2012

क्र. 1918-132-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 11 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 11 of 2012

THE MADHYA PRADESH RAJKOSHIYA UTTARDAYITVA AVAM BUDGET PRABANDHAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2012

[Received the assent of the Governor on the 31st March, 2012; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 31st March, 2012].

An Act further to amend the Madhya Pradesh Rajkoshiya Uttardayitva Avam Budget Prabandhan Adhiniyam, 2005.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty Third Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Rajkoshiya Uttardayitva Avam Budget Prabandhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012.

(2) In Section 9 of the Madhya Pradesh Rajkoshiya Uttardayitva Avam Budget Prabandhan Adhinyam, 2005 (No. 18 of 2005), in sub-section (2), for clause (c), the following clause shall be substitute, namely:—

Amendment of Section 9.

“(c) ensure that total outstanding debt do not exceed 37.6 percent, 36.8 percent, 36.0 percent and 35.3 percent for the financial year, 2011-12, 2012-13, 2013-14 and 2014-15 of the estimated GSDP for that year respectively;”.

3. (1) The Madhya Pradesh Rajkoshiya Uttardayitva Avam Budget Prabandhan (Sanshodhan) Adhinyam, 2012 (No. 1 of 2012) is hereby repealed.

Repeal and Saving.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to hane been done or taken under the corresponding provision of this Act.